SECL/CGM/KSM AREA
Receipt 3567
Date 20/2/16

प्रदर्श – 'स'

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा छत्तीसगढ़

//प्रमाण पत्र//

क्र./519 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 17/2/2016

मेसर्स महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा को कुसमुण्डा खुली खदान विस्तार परियोजना कार्य हेतु कोरबा जिला में कोरबा वनमण्डल के गेवरा, खोडरी, पड़निया, पाली, सोनपुरी (रकबा क्रमशः 102.521 हे0, 17.709 हे0, 0.053 हे0, 0.194 हे0, 21.780 हे0 कुल रकबा 142.257 हेक्टेयर) गांव के राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कुल रकबा 142.257 हेक्टेयर के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण क्षेत्र की वन भूमि 0.00 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 142.257 हेक्टेयर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम गेवरा, खोडरी, पड़निया, पाली, सोनपुरी तहसील कटघोरा में स्थित है में तद्नुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 16.02.2016, 16.02.2016, 16.02.2016, 16.02.2016, (प्रदर्श 'अ') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श 'ब') पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में ग्राम सभा की बैठकें दिनांक 16.02.2016 को ग्राम खोडरी में सरपंच श्री लक्ष्मण सिंह कंवर, ग्राम पड़निया में सरपंच श्री हीरालाल, ग्राम पाली में सरपंच श्री संतराम तथा ग्राम सोनपुरी में सरपंच श्री भोपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। उक्त सभी ग्रामों में ग्राम सभा तथा वन ग्राम समिति के 50% से अधिक सदस्य उपस्थित थे। जिनको प्ररियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में समझाईश दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है।
3. ग्राम गेवरा नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत होने से आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा से अभिमत लिया गया। जिसमें उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने का लेख है।

//2//

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम खोडरी, पड़निया, पाली, सोनपुरी में संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 16.02.2016 एवं सभी ग्रामों के ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16.02.2016 के अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पीटीजी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
6. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ग्राम खोडरी, पड़निया, पाली, सोनपुरी एवं दिनांक 16.02.2016 को ग्राम सभा के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(पी. दयानन्द) 10/2/16
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष –जिला वन अधिकार समिति
जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ.क्र./520 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा, दिनांक 17/2/2016

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रलय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
4. महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र कुसमुण्डा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर 10/2/16
एवं
अध्यक्ष –जिला वन अधिकार समिति
जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़)